कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

(वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर–492002)

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर दिनांक 11 जून, 2026

कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/आब./रा.उ.द./2026/375 दिनांक 11.06.2026 के प्रतिवेदन अनुसार जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान गण्डई में श्री उमेश कुमार अग्रवाल, सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं श्री संतोष दूबे सहायक आबकारी उपनिरीक्षक राज्यस्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. की संयुक्त टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण दौरान छद्‌मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत् विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा 03 नग पाव सवा शेरा देशी मदिरा प्लेन (प्रत्येक पाव की दर 80/–रूपये) शासन निर्धारित विक्रय दर 240/–रूपये के स्थान पर 250/–रूपये में अर्थात 10/–रूपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता श्री वेदप्रकाश निर्मलकर के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत् अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण राज्यस्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी–8 क्रमांक 57/2026–27 दिनांक 29.05.2026 में पंजीबद्ध किया गया है।

2/ उक्त प्रकरण **श्री प्रभाकर सिरमौर आबकारी उप निरीक्षक** वृत्त प्रभारी गण्डई के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है।

3/ अतः **श्री प्रभाकर सिरमौर आबकारी उप निरीक्षक** को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4/ निलंबन काल में **श्री प्रभाकर सिरमौर आबकारी उप निरीक्षक** का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

11/6/26

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / आब. / अपराध / 2026 / 4688 नवा रायपुर दिनांक 11 **जून, 2026**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला–कोषालय, जिला जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई / दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री प्रभाकर सिरमौर आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।

11/6/26

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़